

डाक व्यय की पूर्व अदायगी
के बिना डाक द्वारा भेजे
जाने के लिए अनुमत
अनुमति पत्र कमांक भोपाल



जी कमांक भोपाल
डिजीजन 122 (एम.पी.)

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

कमांक 24)

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 13 जनवरी 1987 — पौष 23, शके 1908

विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल, दिनांक 13 जनवरी 1987

क्रं.455-21-अ (प्रा.)— मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर दिनांक 9 जनवरी 1987 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्व साधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर.डी.शुक्ला, सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

कमांक 3 सन् 1987.

मध्यप्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम, 1986.

विषय—सूची

धाराएं :

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.
2. परिभाषाएं.
3. जल अभावग्रस्त क्षेत्र की धोषणा.
4. अनुज्ञा के बिना जल प्रभावग्रस्त क्षेत्र में के जल स्रोत से सिंचन या औद्योगिक प्रयोजन के लिये या किसी अन्य प्रयोजन के लिये जल लेने का प्रतिषेध.
5. आदेश का अध्यारोही प्रभाव.
6. अनुज्ञा के बिना नलकूप खोदने का प्रतिषेध.
7. अपील.
8. पुनर्विलोकन.
9. अपराध.
10. नियम बनाने की शक्ति.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक 3 सन 1987.

मध्यप्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम, 1986.

[दिनांक 9, जनवरी 1987 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)" में दिनांक 13 जनवरी, 1987 को प्रथमबार प्रकाशित की गई]

जनता को धरेलू प्रयोजनों के लिये जल का प्रदाय बनाये रखने के उद्देश्य से जल स्रोतों में जल का परिरक्षण करने तथा नल कूपों के खोदे जाने का, विनियमन करने के लिये तथा तदनुषंगिक विषयों के लिये उपबंध करने हेतु अधिनियम,

भारत गणराज्य के सैतीसवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ. 1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम, 1986 है.

(2) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा, नियत करें .

परिभाषाएं.

2. इस अधिनियम में , जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो , -

(क) जल के उपयोग के संबंध में "धरेलू प्रयोजनों " से अभिप्रेत है पीने, नहाने , धोने , साफ सफाई करने तथा दिन-प्रतिदिन के अन्य क्रियाकलापों के लिये जल का मनुष्यों द्वारा उपभोग और उसके अन्तर्गत है धरेलू पशुओं के अनुरक्षण के लिये उसका तत्सदृश प्रयोजनों के लिये उपयोग;

(ख) "नल कूप" से अभिप्रेत है जलोढ या चट्टानी क्षेत्रों में लम्बात्मकता की विहित सीमाओं के भीतर उपयुक्त गहराई तक जमीन को छेद कर बनाया गया वैधछिद (बोरहोल) जिसे, अपेक्षित प्रकार के धरेलू पाइप (हाउसिंग पाइप) डालकर, आवश्यकतानुसार रेत या कांकरीट से जमाते हुये, शारीरिक संक्रिया से भिन्न यांत्रिक साधनों की सहायता से, भूमिगत जल खींचने के प्रयोजन के लिये निर्मित किया गया हो

(ग) " जल अभावग्रस्त क्षेत्र" से अभिप्रेत है ऐसा क्षेत्र जिसे धारा 3 के अधीन जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया हो ;

(घ) " जल स्रोत " से अभिप्रेत है ऐसी नदी , बांध, नहर, जलधारा, झरना (फाउन्टेन) झील , सोता (स्प्रिंग) जलाशय (टैंक) वंधान (एनीकट्स) या कुआं जिससे राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण अपनी जल प्रदाय स्कीम के अधीन जनता को धरेलू प्रयोजनों के हेतु जल प्रदाय करता है और उसके अन्तर्गत ऐसे अन्य जल स्रोत होंगे जो राज्य सरकार द्वारा, समय-समय पर, इस निर्मित अधिसूचित किये जायें, किन्तु मध्यप्रदेश इरीगेशन एक्ट, 1931 (क्रमांक 3 सन् 1931) की धारा 3 में तथा परिभाषित "केनाल" (नहर) उसके अन्तर्गत नहीं होगी .

जल अभावग्रस्त क्षेत्र की घोषणा.

3. यदि कलेक्टर की यह राय हो कि धरेलू प्रयोजनों हेतु -

(क) जनता को जल का प्रदाय बनाये रखने या बढ़ाने के लिये ; या

(ख) जल का समान वितरण सुनिश्चित करने के लिये ; या

(ग) जनता की आवश्यकता की पूर्ति करने के हेतु जल प्राप्त करने के लिये;

ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह, आदेश द्वारा, जिले के ऐसे क्षेत्र को , ऐसी कालावधि के लिये, जैसा कि ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए, जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित कर सकेगा और तदुपरि इस अधिनियम के उपबंध उक्त आदेश के प्रवर्तित रहने के दौरान ऐसे क्षेत्र को लागू होंगे.

(1) मध्यप्रदेश लैण्ड रेवेन्यू कोड, 1959 (कमांक 20 सन् 1959) में तथा तत्समय प्रवृत्त किसी ऐसी अनुज्ञा के बिना विधि में, जो भारत के संविधान की सप्तम अनुसूची की राज्य सूची में प्रगणित प्रतिष्ठियों में से किसी प्रविष्टि के अधीन अधिनियमित की गई हो, अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुये भी, कोई भी व्यक्ति, संबंधित कलेक्टर की अनुज्ञा के बिना, जल अभावग्रस्त क्षेत्र में के किसी भी जल स्रोत से सिंचन या औद्योगिक प्रयोजन के लिये या धरेलू प्रयोजन को छोड़ कर किसी अन्य प्रयोजन के लिये किन्ही भी साधनों द्वारा जल नहीं लेगा.

अनुज्ञा के बिना जल अभावग्रस्त क्षेत्र में के जल स्रोत से सिंचन या औद्योगिक प्रयोजन के लिये या किसी अन्य प्रयोजन के लिये जल लेने का प्रतिवेध.

(2) उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिये आवेदन संबंधित कलेक्टर को ऐसे प्ररूप में और ऐसी फीस के साथ किया जाएगा जैसा कि विहित किया जाएं.

(3) कलेक्टर, उन कारणों से, जो लेखबद्ध किये जायेंगे, अनुज्ञा देन से लोकहित में इंकार कर सकेगा यदि उसकी राय में ऐसे जल स्रोत से जनता को धरेलू प्रयोजनों के हेतु जल के प्रदाय को सुनिश्चित करने के उददेश्य से जल का परिरक्षण करना आवश्यक है,

(4) इस धारा के अधीन की प्रत्येक अनुज्ञा—

(क) इस शर्त के अधीन होगी कि कलेक्टर, उन कारणों से, जो लेखबद्ध किये जायेंगे, आदेश द्वारा, जल स्रोत से ऐसी कालावधि के लिये, जो ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट की जाये, जल के लिये जाने का प्रतिवेध कर सकेगा यदि उसकी राय में ऐसे जल स्रोत से विनिर्दिष्ट कालावधि के दौरान जल के लिये जाने का लोकहित में प्रतिवेध करना इस उददेश्य से आवश्यक है कि ऐसे जल स्रोत से जनता को धरेलू प्रयोजनों के हेतु जल के प्रदाय को सुनिश्चित करने के लिये जल का परिरक्षण किया जा सके; और

(ख) ऐसी अन्य शर्तों और निबंधनों के अधीन होगी जो विहित की जायें.

(5) कोई भी व्यक्ति उपधारा (4) के खंड (क) के अधीन पारित किये गये आदेश के परिणामस्वरूप अपने द्वारा उठाई गई हानि के लिये राज्य सरकार से नुकसानी का दावा करने का हकदार नहीं होगा, तथापि जल लेने के लिये किन्ही भी प्रभारों का ऐसे व्यक्ति द्वारा उस कालावधि के लिये किया जाना अपेक्षित नहीं होगा जिसके दौरान उप धारा (4) के खंड (क) के अधीन का आदेश प्रवृत्त रहता है, भले ही किसी करार तथा या रूधि में या तत्समय प्रदत्त किसी ऐसी अन्य विधि में, जो भारत के संविधान की सप्तम अनुसूची की राज्य सूची में प्रगणित प्रतिष्ठियों में से किसी भी प्रविष्टि के अधीन अधिनियमित की गई हो, कोई बात अन्तर्विष्ट क्यों न हो.

5. धारा 3 के अधीन का कोई भी आदेश तत्समय प्रवृत्त किसी ऐसी अन्य विधि में, जो भारत के संविधान की सप्तम अनुसूची की राज्य सूची में प्रगणित प्रतिष्ठियों में से किसी भी प्रविष्टि के अधीन अधिनियमित की गई हो, अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के हुए भी, प्रभावी होगा.

आदेश का अभ्यारोही प्रभाव

6 (1) कोई भी व्यक्ति, कलेक्टर की या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी की अनुज्ञा के बिना, जल अभावग्रस्त क्षेत्र में किसी भी प्रयोजन के लिये, नलकूप नहीं खोदेगा.

अनुज्ञा के बिना नलकूप खोदन का प्रतिपेध

(2) उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिये आवेदन कलेक्टर को या उपधारा (1) के अधीन प्राधिकृत किसी अधिकारी को ऐसे प्ररूप में और ऐसी फीस के साथ किया जाएगा जैसा कि विहित किया जाये.

(3) उपधारा (1) के अधीन की कोई अनुज्ञा व्यतिकरण-परिक्षेत्र (जोन ऑफ इन्टरफियरेन्स) के भीतर नहीं दी जायेगी यदि उस नलकूप के जिसके कि लिये अनुज्ञा चाही गई है, खोदे जाने के कारण ऐसे परिक्षेत्र में विद्यमान उस नलकूप से, जो जनता को धरेलू प्रयोजनों के हेतु जलप्रदाय करने के प्रयोजन के लिये यथास्थिति राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा सन्निर्मित किया गया हो या अनुरक्षित किया जाता हो, जल के प्रदाय पर किसी भी प्रकार से कोई प्रभाव पड़ने की संभावना हो.

(4) इस धारा के अधीन की प्रत्येक अनुज्ञा ऐसी शर्तों और निबंधनों के अधीन होगी जो विहित की जायें.

स्पष्टीकरण:— इस धारा के प्रयोजन के लिये "व्यतिकरण-परिक्षेत्र" से अभिप्रेत है उपधारा (3) में निर्दिष्ट विद्यमान नलकूप से एक सौ पचास मीटर की त्रिज्या के भीतर का क्षेत्र.

7. कोई भी व्यक्ति, जो धारा 4 के अधीन कलेक्टर द्वारा पारित किसी आदेश से व्यधित हो, संभाग आयुक्त को अपील ऐसे आदेश की तारीख से तीस दिन के भीतर ऐसी रीति में जो अपील कि विहित की जाए कर सकेगा जिसमें ऐसे आदेश के, जिसके विरुद्ध अपील की गई है, संबंध में आपत्ति के आधारों का संक्षिप्त वर्णन किया जाएगा.

अपील.

पुनर्विलोकन.

8. इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, कलेक्टर स्वप्रेरणा से या व्यथित पक्षकार के आवेदन पर, किसी भी ऐसे आदेश का, जो उसके स्वयं के द्वारा या उसके पद, पूर्ववर्तियों में से किसी के भी द्वारा पारित किया गया हो, पुनर्विलोकन उस दशा में कर सकेगा जबकि कोई अपील न की गई हो और ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जैसा कि वह उचित समझे :

परन्तु—

- (एक) किसी भी आदेश में तब तक कोई फेरफार नहीं किया जाएगा या उसे उलटा नहीं जाएगा जब तक कि हितबद्ध पक्षकारों को उपसंजात होने तथा ऐसे आदेश के समर्थन में सुनवाई की जाने की सूचना न दे दी गई हो;
- (दो) किसी भी ऐसे आदेश का, जिस पर से अपील की गई हो, तब तक पुनर्विलोकन नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसी अपील लम्बित हो .

अपराध

9. धारा 3 या धारा 4 के उपबंधों का उल्लंघन कारावास से, जो दो वर्ष तक का हो सकेगा, या जुर्माने से जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा या दोनों से दण्डनीय होगा .

नियम बनाने की शक्ति

10. (1) राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम, पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन रहते हुए, बना सकेगी .

(2) विशिष्टतः और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित समस्त विषयों या उनमें से किसी भी विषय के लिए उपबंध हो सकेंगे, अर्थातः—

(क) धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन आवेदन का प्ररूप और उसके लिए फीस ;

(ख) वे शर्तें और निर्बन्धन जिनके अधीन रहते हुए धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन अनुज्ञा दी जाएगी ;

(ग) धारा 6 की उपधारा (2) के अधीन आवेदन का प्ररूप और उसके लिए फीस ; और

(घ) वे शर्तें और निर्बन्धन जिनके अधीन धारा 6 की उपधारा (4) के अधीन अनुज्ञा दी जाएगी.

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम विधान सभा के पटल पर रखे जाएंगे .

भोपाल, दिनांक 13 जनवरी 1987

कं.456-21-अ (प्रा.)— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में मध्यप्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 (कंमांक 2 सन 1987) का अंग्रजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जात है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर.डी.शुक्ला, सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 3 OF 1987

THE MADHYA PRADESH PEYA JAL PARIRAKSHAN ADHINIYAM-1986

TABLE OF CONTENTS

Sections:-

1. Short title and commencement.
2. Definitions.
3. Declaration of water scarcity area.
4. Prohibition to take water for irrigation or industrial or any other purpose from water source in water scarcity area without permission.
5. Overriding effect of the order.
6. Prohibition of digging of tube wells without permission.
7. Appeal.
8. Review.
9. Offences.
10. Power to make rules.

MADHYA PRADESH ACT
No.3 OF 1987

THE MADHYA PRADESH PEYA JAL PARIRAKSHAN ADHINIYAM,1986.

[Received the assent of the Governor on the 9th January 1987; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette" (Extra-ordinary), dated the 13th January,1987].

An Act to provide for preservation of water in the water sources and for regulation of digging of tube wells in order to maintain the water supply to the public for domestic purposes and for matters ancillary thereto.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Thirty-seventh Year of the Republic of India as follows:-

1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Peya Jal Parirakshan Adhiniyam 1986. Short title and commencement.
- (2) It shall come into force on such date as the State Government may be notification, appoint. Definitions
2. In this Act, unless the context otherwise requires:-
 - (a) "domestic purposes" in relation to use of water means consumption of the same by human beings for drinking, bathing, washing, cleansing and other day to day activities and includes use thereof for similar purposes for the upkeep of domestic animals;
 - (b) "Tubewell" means a bore hole within the prescribed limits of verticality, drilled up to suitable depth, in alluvium or rocky areas installed with requisite type of housing pipe, placing of sand or gravel as per necessity, for the purpose of drawing underground water with the help of mechanical means, other than Manual Operation.
 - (c) "water scarcity area" means the area declared as water scarcity area under section 3;
 - (d) "water source" means river, dam, canal, stream, fountain, lake spring, tank, anicuts or well from which the State Government or local authority supply water to the public under its water supply scheme for domestic purposes and shall include such other water sources as may be notified by the State Government in this behalf, from time to time, but it shall not include the canal as defined in Section 3 of the Madhya Pradesh Irrigation Act, 1931 (No.3 of 1931).
3. If the Collector is of opinion that it is necessary or expedient so to to- Declaration of water scarcity area
 - (a) for maintaining or increasing supply of water to the public; or
 - (b) for securing its equitable distribution; or
 - (c) for securing water to meet the need of the public,

Domestic purposes, he may, by order, declare such area of the district for such period as may be specified in such order to be water scarcity area and thereupon the provisions of this Act should apply to such area during the operation of the said order.
4. (1) Notwithstanding anything contained in the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959) and any other law, for the time being in force, enacted under any of the entries enumerated in the State List of the Seventh Schedule to the Constitution of India, no person shall take water by any means from any water source in the water scarcity area for irrigation or industrial or any other purposes except domestic purpose without the permission of the Collector concerned. Prohibitions to take water for irrigation or industrial or any other purpose from water source in water scarcity area without permission.
- (2) An application for permission under sub-section (1) shall be made to the Collector concerned in such form and accompanied by such fee as may be prescribed.
- (3) The Collector may, for reasons to be recorded in writing, refuse to grant permission in the public interest if in his opinion it is necessary to preserve water in order to ensure supply thereof to the public from such water source for domestic purposes.

(4) Every permission under this section shall be subject to –

(a) The condition that the Collector may, for reasons to be recorded in writing, by order prohibit the taking of water from the source for such period as may be specified in such order if in his opinion it is necessary in the public interest to prohibit taking of water from such water source during the period specified to preserve water in order to ensure the supply thereof from such water sources to the public for domestic purposes; and

(b) Such other conditions and restrictions as may be prescribed.

(5) No person shall be entitled to claim damages from the state Government for the loss sustained by him as a result of order passed under clause (a) of sub-section (4), but however no charges for the taking of water shall be required to be paid by such person for the period during which order under clause (a) of sub-section (4) remains in operation notwithstanding anything contained in any agreement, usage or custom or any other law for the time being in force, enacted under any of the entries enumerated in the State List of the Seventh Schedule to the Constitution of India.

Overriding effect of the order

5. An order under Section 3 shall have effect notwithstanding anything to the contrary contained in any other law for the time being in force enacted under any of the entries enumerated in the State List of the Seventh Schedule to the Constitution of India

Prohibition of digging of tube wells without permission

6. (1) No person shall dig tube-well in the water scarcity area for any purpose without the permission of the Collector or any other officer authorised by the State Government in this behalf.

(2) An application for permission under sub-section (1) shall be made to the Collector of an officer authorised under sub-section (1) in such form and accompanied by such fee as may be prescribed.

(3) No permission under sub-section (1) shall be prescribed granted within the Zone of interference unless the digging of tube-well for which permission is sought is not likely to affect in any way the water supply from the tube well existing in such zones which has been constructed or is maintained by the State Government or a local authority, as the case may be, for the purposes of water supply to the public for domestic purposes.

(4) Every permission under this section shall be subject to such conditions and restrictions as may be prescribed.

Explanation – For the purpose of this section " zone of interference" means an area with the radius of one hundred fifty metres from the existing tube-well referred to in sub-section (3)

Appeal.

7. Any person aggrieved by an order passed by the Collector under Section 4 may prefer an appeal to the Commissioner of the Division within thirty days in such manner as may be prescribed from the date of such order setting forth concisely the grounds of objection to the order appealed against.

Review

8. Subject to the provisions of this Act, the Collector may either on his own motion or on the application of the aggrieved party, if no appeal has been preferred, may review the order passed by himself or by any of his predecessors in office and pass such order as he thinks fit.

Provided that-

(i) no order shall be varied or reversed unless notice has been given to the parties interested to appear and be heard in support of such order;

(ii) no order from which an appeal has been made shall so long as such appeal is pending be reviewed.

Offences.

9. The contravention of the provisions of section 3 or section 4 shall be punishable with imprisonment which may extend to two years or a fine which may extend to two thousand rupees or with both.

Power to make rules

10 (1) The State Government may, subject to the condition of previous publication, make rules to carry out the purposes of this Act.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing powers, such rules may provide for all or any of the following matters, namely;-

- (a) the form of application and a fee therefor under sub-section (2) of Section 4;
- (b) the conditions and restrictions subject to which permission is to be granted under sub-section (4) of Section 4;
- (c) the form of application and fee therefore, under sub-section (2) of Section 6; and
- (d) the conditions and restrictions subject to which permission under sub-section (4) of Section 6 is to be granted.

(3) The rules made under this Act shall be laid on the table of the Legislative Assembly.